

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 628]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 11, 2014/फाल्गुन 20, 1935

No. 628]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 11, 2014/PHALGUNA 20, 1935

### कोयला मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 मार्च, 2014

का.आ. 737(अ).—केन्द्रीय सरकार, खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोयला खान नियमावली 2012 की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित बनाती है :—

2. कोयला खान नियमावली 2012 की प्रतिस्पर्द्धी बोली द्वारा नीलामी में खनन के प्रयोजनार्थ कोयलाधारी क्षेत्र के आवंटन की निबंधन एवं शर्तों के अंतर्गत अनुसूची में भाग (1) में, पैराग्राफ (1) के उप पैराग्राफ (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैराग्राफ प्रतिस्थापित किया जाएगा तथा इसे 27 दिसम्बर, 2012 से लागू हुआ माना जाएगा अर्थात् :—

"1(1) कोयलाधारी आवंटित क्षेत्रों से उत्पादित कोयला केन्द्रीय सरकार अथवा जैसा भी मामला हो, राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दीर्घकालिक ठेके अथवा लिंकेज, के माध्यम से वितरित किया जाएगा।"

[फा. सं. 13016/26/2004-सीए-I/सीए-III]

ए. के. भल्ला, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकरण : यह स्पष्ट किया जाता है कि हम इस अधिसूचना को पूर्वप्रभावी करने से कोई भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा और इस संशोधन को टाईप की त्रुटियों को दूर करने के लिए पूर्वप्रभावी किया गया है ।

पाद टिप्पण:—मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 207(अ), तारीख 2 फरवरी, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे तथा इसे अधिसूचना संख्या का.आ. 2008 (ङ) दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के तहत संशोधित किया गया है।

# MINISTRY OF COAL

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 11th March, 2014

- S.O. 737 (E).—In exercise of the powers conferred by clause (d) of sub-section (2) of section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (67 of 1957), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012, namely:—
- 2. In the Auction by Competitive Bidding of Coal Mines Rules, 2012, in the Schedule, in Part I, under the heading Terms and Conditions of Allocation of Area Containing Coal For The Purpose of Mining, for sub-paragraph(1) of paragraph (1), the following paragraph shall be substituted and the same shall be deemed to have come into force from 27th December, 2012, namely:—
- " 1 (1) The coal produced from the allocated areas containing coal shall be distributed through the long term contract or linkage approved by the Central Government or as the case may be, the State Government."

[F. No.13016/26/2004-CA-I/CA-III] A. K. BHALLA, Jt. Secy.

- **Explanation:**—It is clarified that by giving retrospective effect to the notification, no one will be adversely affected and this amendment has been given retrospective effect to clear the typographical errors.
- Note:—The Principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 Sub-section (ii), *vide* number S.O. 207 (E), dated 2nd February, 2012 and subsequently amended vide notification number S.O. 2008(E) dated 27th December, 2012.